[भारत के राजपत्र, भाग-I, खंड-I में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितंबर, 2014

जबकि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने "नेटवर्किंग ऑफ़ रिवर्स" के प्रकरण में रिट याचिका (सिविल) सं. 512/2002 के साथ रिट याचिका (सिविल) सं. 668/2002 में अपने निर्णय दिनांक 27 फरवरी 2012 में केंद्र सरकार को उक्त निदेशों में विनिर्दिष्ट कार्यों को करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय में एक समिति अर्थात् "नदियों के अंतर्योजन के लिए एक विशेष समिति" गठित करने का निदेश दिया है।

एवं जबकि, मंत्रिमंडल ने अपनी बैठक दिनांक 24 जुलाई, 2014 में, माननीय उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन का निश्चय किया है।

अतः अब, माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार, केंद्र सरकार ने एक समिति का गठन किया है, अर्थात् "नदियों के अंतर्योजन के लिए एक विशेष समिति" (जिसे इसके पश्चात् समिति कहा गया है), जिसमें निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे, नामतः :-

(क) माननीय केंद्रीय मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय।

(ख) माननीय राज्य मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय।

(ग) सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय।

(घ) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय।

(ङ) अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग।

(च) महानिदेशक, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण – सदस्य सचिव।

(छ) निम्नलिखित मंत्रालयों/निकायों से प्रत्येक से एक-एक कर, चार विशेषज्ञों के नाम निर्देशित किए जाएंगे, अर्थात् :-

i. एक विशेषज्ञ, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय से।
ii. एक विशेषज्ञ, वित्त मंत्रालय से।
iii. एक विशेषज्ञ, योजना आयोगसे।
iv. एक विशेषज्ञ, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से।

(ज) निम्नलिखित समवर्ती राज्यों में से प्रत्येक से जल और/या सिंचाई मंत्री के साथ-साथ प्रधान सचिव।

i. माननीय मंत्री, वृहत् और मध्यम सिंचाई तथा कमान क्षेत्र विकास विभाग के साथ-साथ प्रधान सचिव (पी), आंध्र प्रदेश सरकार।
ii. माननीय मंत्री, जल संसाधन के साथ-साथ सचिव (जल संसाधन), नर्मदा जल संसाधन, जल आपूर्ति और कल्पसार विभाग, गुजरात सरकार।
iii. माननीय मंत्री, जल संसाधन के साथ-साथ प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, कर्नाटक सरकार।
iv. माननीय मंत्री, जल संसाधन के साथ-साथ प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार।
v. माननीय मंत्री, जल संसाधन के साथ-साथ प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, महाराष्ट्र सरकार।
vi. माननीय मंत्री, जल संसाधन के साथ-साथ प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार।
vii. माननीय मंत्री (लोक कार्य), तमिलनाडु सरकार।
viii. माननीय मंत्री (सिंचाई) के साथ-साथ प्रधान सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।

ix. माननीय मंत्री (प्रभारी, जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार।
x. माननीय मंत्री, जल संसाधन के साथ-साथ प्रधान सचिव, जलसंसाधन विभाग, बिहार सरकार।
xi. माननीय मंत्री (सिंचाई) के साथ-साथ अपर मुख्य सचिव, सिंचाई विभाग हरियाणा सरकार।
xii. माननीय मुख्य मंत्री, पुदुच्चेरी के साथ-साथ सचिव (लोक कार्य), मुख्य सचिवालय, पुदुच्चेरी सरकार।

(झ) मुख्य सचिव या किसी अन्य राज्य के संबंधित विभाग के प्रधान सचिव या उनके द्वारा नामित तथा उनके स्तर से कम न हो व्यक्ति जो जल को जोड़ने की नदी परियोजना में सम्मिलित हों, जैसा कि नीचे दिया गया है:

(i) प्रधान सचिव (एन्, मुख्य सचिव, गुजरात सरकार के नामनिर्देशित व्यक्ति।
(ii) प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार।
(iii) सचिव, लोक निर्माण विभाग, तमिलनाडु सरकार, तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव के नामनिर्देशित व्यक्ति के रूप में।
(iv) मुख्य सचिव, ओ़डिशा सरकार।
(v) सचिव, सिंचाई और जलमार्ग विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार।
(vi) प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार।
(vii) प्रधान सचिव/सचिव, सिंचाई विभाग उत्तराखंड सरकार।
(viii) प्रधान सचिव (शहरी विकास), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार।
(ix) मुख्य सचिव, असम सरकार।
(x) मुख्य सचिव, बिहार सरकार।
(xi) मुख्यसचिव, हरियाणा सरकार या उनके नामनिर्देशित व्यक्ति, जिनकी श्रेणी प्रधान सचिव से कम न हो।
(xii) प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार।
(xiii) प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, केरल सरकार।
(xiv) मुख्य सचिव, पंजाब सरकार।

(ञ) संबंधित मंत्रालयों अर्थात् जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दो-दो सामाजिक कार्यकर्ता नामित किए जाएंगे।

(ट) श्री रंजीत कुमार (अमीकस क्यूरी)।

(ठ) समिति के कार्यों के लिए निदेश इस प्रकार हैं-

i. समिति दो महीनों में कम से कम एक बार बैठक करेगी और अपने कार्यवृत्त और विचार -विमर्श का अभिलेख रखेगी, माननीय केंद्रीय मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
ii. इन बैठकों में किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति की स्थिति में , उनके पद को ध्यान में रखे बिना बैठक को स्थगित नहीं किया जाएगा।
iii. समिति ऐसे निबंधन और शर्तों के आधार पर जिन्हें वह उचित समझे , नदियों को आपस में जोड़ने के कार्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ऐसी उप-समितियां बना सकती है,जिन्हें वह आवश्यक समझती है।
iv. समिति, भारत सरकार के मंत्रिमंडल को छमाही आधार पर प्रास्थिति-सह प्रगति प्रतिवेदन और उसमें उल्लिखित सभी मामलों के विषय में लिए जाने वाले निर्णयों का एक प्रतिवेदन सौंपेगी। मंत्रिमंडल यथासंभव शीघ्र और अधिमानतः उसके समक्ष विचार के लिए मामलों को प्रस्तुत किए जाने की तिथि से 30 दिनों के भीतर सभी अंतिम और उपयुक्त विनिश्चय लेगा।
v. "नदियों की नेटवर्किंग" के विषय में रिट याचिका (सिविल) सं. 512/2002 के लंबित रहने के दौरान इस न्यायालय (माननीय उच्चतम न्यायालय) के समक्ष प्रस्तुत विशेषज्ञ निकायों की सभी प्रतिवेदन और स्थिति प्रतिवेदनों पर विचार किए जाने के लिए समिति के समक्ष रखे जाएंगे। प्रतिवेदनों के सम्यक विश्लेषण और विशेषज्ञों के विचारों के आधार पर समिति परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए अपनी योजनाएं बनाएगी।

vi. इस प्रकार तैयार की गई योजनाओं के विभिन्न चरण होंगे, जो सीधे परियोजना की आयोजना, कार्यान्वयन, निर्माण, निष्पादन और उसके पूर्ण होने से संबंधित होंगे।

vii. समिति, नदियों को परस्पर जोड़ने की परियोजना का समय आधारित ढंग से प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित करेगी। समिति पहले-पहल केन-बेतवाअंतर्योजनपरियोजना आरंभ करेगी एवं मांगे गए स्पष्टीकरण पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया जाएगा।

viii. समिति, साध्यता प्रतिवेदनों तथा अन्य प्रतिवेदनों को पूरा करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित करने के लिए पक्के कदम उठाएगी और एक निश्चित समय-सीमा तय करेगी एवं परियोजनाओं का पूरा होना सुनिश्चित करेगी, जिससे कि यथोचित समय के भीतर लाभ और लागत प्राप्त हो सकें।

ix. प्रारंभिक प्रक्रमों में, इस कार्यक्रम में वह राज्य शामिल नहीं हो सकते, जिनके पास पर्याप्त जल उपलब्धता है, और जो नदियों केअंतर्योजन कार्यक्रम में महत्वपूर्ण रूप से शामिल नहीं है, और परियोजनाओं को बिना उनकी प्रभावी सहभागिता के पूर्ण किया जा सकता है। तथापि, समिति किसी पश्चातवर्तीप्रक्रम में कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए किसी राज्य को सम्मिलित कर सकती है।

x. समिति यह सुनिश्चित करेगी कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारें कार्यक्रम में हिस्सा लें और इन परियोजनाओं को और अधिक प्रभावशाली ढंग से पूरा करने के लिए, सभी वित्तीय, प्रशासनिक और कार्यकारी सहायता दें।

xi. नदियों के अंतर्योजन संबंधी कार्यक्रम के आयोजन के लिए समिति उत्तरदायी होगी। समिति के विनिश्चयों को इस न्यायालय (माननीय उच्चतम न्यायालय) के आदेशों या अन्य आदेशों के अधीन गठित सभी प्रशासनिक निकायों पर अग्रता दी जाएगी।

(फ़ाईलसं.2/15/2014-बीएम)

(उर्विला खाती)
संयुक्त सचिव (पीपी)
जल संसाधन, नदी विकास,
एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय